10/10/24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उपस्थित पक्ष अनु। प्रार्थना निर्णय किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया। पालना शामिल- मिसल। मिसल नतीजे के बाद दा.द. हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2023/277

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:39:19 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

सरकार बनाम मैसर्स शिप्रा प्रोपर्टीज सूरतगढ़ जरिये पार्टनर

किस्म मुकदमाः–177 आरटीए प्रकरण संख्याः–126/2023 (जी.सी.एम.एस. 2023/277)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पैरोकार राज ने बताया कि अप्राथीगण के नाम संयुक्त खाता की भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबंदी में खसरा संख्या 578/327 की 2.144 हैक्टर भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो का उल्लघंन किया गया है तथा खातेदारी अधिकार की शर्तो का भी उल्लघंन किया गया है। खातेदारान द्वारा अपने विधिक दायित्वों का उल्लघंन एवं अवहेलना करते हुए बिना स्वीकृति कृषि भूमि की प्रकृति का परिवर्तन किया है। जिससे राज्य पक्ष को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अप्रार्थीगण द्वारा अवैध निर्माण व अकृषि उपयोग कार्य बंद नही करने पर यह प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृत्य विधि के सिद्धातों के विरूद्ध व काश्तकारी कानून अनुसार उक्त रकबा राज किये जाने व अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि कस्बा सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता संख्या 125 नई 87 पुरानी में खसा संख्या 327 में 4.756 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में इन्तकाल संख्या 1260 दिनांक 30.12.2022 बैयनामा द्वारा अप्रार्थी फर्म मैसर्स शिप्रा प्रोपर्टीज सूरतगढ़ खातेदार के नाम से 2.144 हैक्टर हिस्सा खातेदारी अंकित है। प्रार्थी के द्वारा मौका व रिकार्ड के विपरीत अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति पहुचाने की गर्ज से राजनैतिक दबाव में व रंजिशवश यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि में मौका पर कृषि कार्य ही किया जाता आ रहा है। सम्वत् 2080 रबी की फसल अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि में अप्राथी द्वारा काश्त की गई थी। जो कि खसरा गिरदावारी से साबित है। जैरवाद रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर स्थित है एवं बारानी किस्म होने के कारण इसमें काश्त केवल वर्षा पर निर्भर करती है। अप्रार्थीगण द्वारा बैयनामा द्वारा भूमि खरीद करने के समय उसे विक्रेतागण द्वारा कब्जा में सौंपी गई भूमि में सूड करवाकर इसको ट्रेक्टरों से करावा लगवाकर समतल कर काबिल काश्त बनाया गया है। अप्रार्थी के अतिरिक्त किसी अन्य अन्य सहखातेदारान के द्वारा अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि का यदि गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया है तो उसके लिये अप्रार्थी पर आरोप लगाया जाना गलत व विधि विरूद्ध है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.06.2023 के विपरित और निराधार अंकित की गई है। क्योंकि पटवारी अप्रार्थीगण से कभी भी दिनांक 27.06.2023 को मौका पर आकर नही मिला है। पटवारी रिपोर्ट [illegible] कार्य किया जाना कहीं भी अंकित नही किया गया है। अप्रार्थीगण [illegible] भूमि सुधार की परिभाषा में आता है। जैरवाद [illegible] की बाजरा की फसल भी प्राप्त की जा चुकी है। अप्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि का कृषि के अतिरिक्त अकृषि प्रायेजनार्थ उपयोग कि[illegible] बिना ही प्रार्थी द्वारा केवल मात्र राजनैतिक दवाब में आकर अप्रार्थी की भूमि का मौका मुआयना किये बिना केवल मात्र अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने की गर्ज से झूठे	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.28 17:30:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2024	शपथ–पत्र के साथ ही तथ्यों को छिपाते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाता या इसमें निर्माण का कार्य किया होता तो खसरा गिरदावरी में काश्त नही दिखाई जा सकती थी। अप्रार्थी की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में संयुक्त खाता में अंकित है और राजस्व रिकार्ड के नक्शा में तरमीम भी नही की हुई है, जो स्वयं प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के आधार, रिपोर्ट पटवारी हल्का में स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद बिना समस्त सहखातेदारान को अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये केवल मात्र अप्रार्थी सहखातेदार को उनके हिस्सा की खरीदशुदा भूमि से वंचित करने की गर्ज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो गलत व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। कानूनी नजीर WLN 1972 पेज संख्या 772, SCC 2010 पेज संख्या 114, SCC 2010 पेज संख्या 114 प्रस्तुत की। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। तहसीलदर सूरतगढ़ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार "मैसर्स शिप्रा प्रोपर्टीज के मालिकों द्वारा बिना तरमीम किये एवं कृषि भूमि पर मिट्टी जमा कर खातेदारी अधिकारों का उल्लघंन किया है"। उक्त रिपोर्ट में ना तो पटवारी द्वारा निर्माण का जिक्र किया गया है एवं ना ही यह अंकित किया है क अवैध को कृषि कार्य को रोके जाने हेतु अप्रार्थीगण को मना करने पर भी अप्रार्थीगण नही रूके तथा धमकी दी कि यह भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसमें उन्हे निर्माण का अधिकार है।" इस प्रकार तहसीलदार सूरतगढ़ एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भिन्नता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2080 में बाजरा फसल काश्त होना बताया है तथा मौका की फोटो भी प्रस्तुत की है, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण नही है। उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई जवाब या तथ्य प्रस्तुत नही किये है। पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य सामने नही आया है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन किया गया हो। अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं साक्ष्यों से साबित नही होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी 177 आर0टी0ए0 आधारहीनएवं साक्ष्यों से साबित नही होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.10.28 17:18:19 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (एस.)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़